रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-05122022-240814 CG-DL-E-05122022-240814

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5432] No. 5432] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 5, 2022/अग्रहायण 14, 1944 NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 5, 2022/AGRAHAYANA 14, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5664(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, आंध्र प्रदेश राज्य के अन्नमयया जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग रायचोटी से अन्गल्लु तक संख्या 340 के कि.मी. 0.000 से 60.380 मोजुदा का उन्नयन दो लेन में हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

8073 GI/2022 (1)

अनुसूची आंध्र प्रदेश राज्य में राष्टीय राजमार्ग संख्या-NH340 पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	राजस्व मंडल अधिकारी, रायचोटी ()	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH340 के कि.मी. 0 से 60.38 तक	आंध्र प्रदेश	अन्नमयया	रायचोटी चिन्नामंडेम	1 रायचोटी 2 चेरलोपल्ली 1 वंदाडी 2 देवगुडीपल्ली 3 चिन्नामंडेम

फा. सं. RW/NH-12011/8/2014/AP/P-7]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 5th December, 2022

S.O. 5664(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders from Rayachoty to Angallu section under National Highway No.340 in km. 0.000 to 60.380 in the district of Annamayya in the State of Andhra Pradesh.

SCHEDULELand acquisition on National Highway No. 340 in the State of ANDHRA PRADESH.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	REVENUE DIVISIONAL OFFICER, RAYACHOTI		ANDHRA PRADESH	Annamayya	Rayachoti	Rayachoti 2 Cherlopalli
	O				Chinnamandem	2 Devagudipalli 3 Chinnamandem

[F. No. RW/NH-12011/8/2014/AP/P-7]

RAJESH GUPTA, Director